



109

## समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क

/2015 पुनर्विलोकन दिव्यु - 1214-1-15

मुनिलोकन प्र० १५  
२८/५/१५

विरुद्ध  
२८/५/१५

इसुफ खां पुत्र श्री नूरशाह मुसलमान  
निवासी जगर जौरा, तहसील जौरा,  
जिला मुरैना म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. म0प्र0शासन
2. सचिव, इन्तजामिया कमेटी, जमा  
मरिजद जौरा जिला मुरैना म.प्र.  
.....अनावेदक

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के  
तहत निगरानी 626/तीन /2002 मुरैना मे पारित आदेश दिनांक 07.05.2015  
को पुनर्विलोकन किये जाने वाले।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :-

### प्रकरण के संक्षेप तथ्य

आवेदक द्वारा अपर आयुत्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क 341/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 20.12.01 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई जिस निगरानी को स्वीकार न करते हुये माननीय विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 07मई 2015 से निरस्त की गई।

1. यहकि, आवेदक काफी गरीब व भूमिहीन व्यक्ति है आवेदक का उक्त भूमि पर लगभग वर्ष 1953 संवत् 2010 से शांति पूर्व रूप से रहकर अपने परिवार के साथ रहकर जीवन यापन कर रहा है आवेदक काफी गरीब बी.पी.एल कार्ड धारक है जिसके पास उक्त इस भूमि के अलावा एक भी जमीन का दुकटा नहीं है।
2. यहकि, आवेदक विगत वर्ष 1953 से लगातार ज़रीवाना पैसे नगर निगम मे जमा करता रहा है जिसका रिकार्ड के अध्ययन से ही स्पष्ट है अनावेदक क 1 द्वारा जो कार्यवाही म.प्र. भूराज्य संहिता की धारा 248 के तहत की गई है वह कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि उक्त भूमि नगर पालिका

B/10

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 1214-एक / 15

जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१८-१-१६	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस रिव्यू प्रकरण का निराकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्र०क० सिविल अपील ११ए/१३ में पारित आदेश दिनांक ९-२-१६ के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>२/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया विचारोपरांत आवेदक को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश का सहारा ले रहे हैं उसकी प्रमाणित प्रति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें और तहसीलदार तदनुसार प्रकरण का निराकरण करें। यह प्रकरण तदनुसार निराकृत किया जाता है।</p> <p><i>Mujahid</i> सदस्य</p> <p><i>B/4</i></p>	